

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेंडर
(सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के संबंध में)

भारत सरकार ने अपनी नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन हेतु धनराशि को निम्नानुसार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशियां (01 जुलाई, 2024- 30 सितम्बर, 2024)					
नीलामी की तारीख	जारी करने की तिथि	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	जोड़ (₹ करोड़ में)
03-जुलाई-2024	04-जुलाई-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
10-जुलाई-2024	11-जुलाई-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
18-जुलाई-2024	19-जुलाई-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
24-जुलाई-2024	25-जुलाई-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
31-जुलाई-2024	01-अगस्त-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
07-अगस्त-2024	08-अगस्त-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
14-अगस्त-2024	16-अगस्त-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
21-अगस्त-2024	22-अगस्त-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
28-अगस्त-2024	29-अगस्त-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
04-सितम्बर-2024	05-सितम्बर-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
11-सितम्बर-2024	12-सितम्बर-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
18-सितम्बर-2024	19-सितम्बर-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
25-सितम्बर-2024	26-सितम्बर-2024	8,000	6,000	6,000	20,000
जोड़		1,04,000	78,000	78,000	2,60,000

2. भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, बाजार को उपयुक्त सूचना देने के बाद, अपनी आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की छूट होगी। इस प्रकार, यदि परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षित हो, तो कैलेंडर में बदलाव किया जा सकता है, जिसमें बीच में पड़ने वाली छुट्टियाँ जैसे कारण भी शामिल हैं। ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हों, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

3. राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 28 जून, 2024